कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा।

पत्रांक : 1156 / मानचित्र / जि0पं0अ0 / 2023-24 दिनांक 29-12-23

मै0 रामा सन्देश डब्लपर्स प्रा0लि0
प्रो0 श्री शरद गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन गुप्ता
निवासी – 303 मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स ए-212 गली नं0 01 शकरपुर दिल्ली।

अपने पत्र दिनांक 15.12.2023 का सन्दर्भ लें। जिसमे आपके द्वारा ग्राम काकाठेर तहसील हसनपुर के गाटा संख्या 597 रकबा 0.187 है, गाटा संख्या 625 रकबा 0.076 है, गाटा संख्या 633 / 1250 रकबा 0.130 है, गाटा संख्या 635 रकबा 0.106 है, गाटा संख्या 638 रकबा 0.210 है, मे *आवासीय कॉलोनी* के मानचित्र को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम काकाठेर तहसील हसनपुर के गाटा संख्या 597 रकबा 0.187 है, गाटा संख्या 625 रकबा 0.076 है, गाटा संख्या 633 / 1250 रकबा 0.130 है, गाटा संख्या 635 रकबा 0.106 है, गाटा संख्या 638 रकबा 0.210 है, में *आवासीय कॉलोनी* के मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित षर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. प्रस्तावित भवन / परियोजना का निर्माण किसी तकनीकी राक्षम व्यक्ति की देख–रेख में कराया जायेगा।
2. मानचित्र में दर्शाया गया रोड साईड सैट बैक पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नही करेंगे। निर्माण सेंटर ऑफ द रोड से एन0एच0ए0आई0 / पी0डब्ल्यू0डी0 / सम्बन्धित विभाग के मानक के अनुसार छोडना होगा तथा अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र की स्वीकृति स्वयं ही निरस्त मानी जायेगी।
3. प्रस्तावित भवन / परियोजना संचालन के दौरान यदि किसी भी प्रकार की जन अथवा धन हानि के लिये जिला पंचायत अमरोहा किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी, तथा किसी भी प्रकार की हानि के लिये आवेदक का दायित्व होगा।
4. प्रस्तावित भवन / परियोजना निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही करेंगें।
5. स्वामित्व सम्बन्धी विवाद में स्वीकृत मानचित्र को स्वामित्व अभिलेख के रूप में किसी भी न्यायालय में उपयोग नही कर सकते है। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वयं ही निरस्त माना जायेगा।
6. अग्निशमन विभाग द्वारा इस शर्त के साथ प्रोविजनल अनापत्ति प्रदान की गयी है कि भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। साथ ही निर्माण अग्नि शमन निर्माण की साइट पर अनापत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड मानचित्र के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।
7. किसी भी प्रकार के परिर्वतन / परिवर्धन के लिये जिला पंचायत अमरोहा की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
8. प्रस्तावित भवन / परियोजना निर्माण के संचालन हेतु जिस किसी भी विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तो उसे प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा एवं यदि किसी विभाग से प्रत्येक वर्ष अनापत्ति / लाईसेंस प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करना भी आवेदन का दायित्व होगा।
9. मानचित्र पर लोन सम्बन्धी रिकवरी न होने की दशा में जिला पंचायत का कोई दायित्व नही होगा लोन के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से आवेदक जिम्मेदार होगा।
10. भवन स्थल पर रेन हॉरवेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित भवन / परियोजना के जल निकासी के लिए नाली / पुलिया निर्माण को स्वयं के खर्च से निकटतम नाले से जोडना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र प्रस्तावित भवन / परियोजना परिसर में कोई भी ऐसा कार्य करने की अनुमति नही होगी जो सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमरोहा

13. वर्तमान में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के डार्क एरिया से बाहर है भविष्य में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/विनियमितकरण क्षेत्र या प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आने पर अथवा आगामी किसी भी परियोजना के सीमा अन्तर्गत आने पर जिला पंचायत अमरोहा का कोई उत्तर दायित्व नही होगा।
14. शासनादेशानुसार सैस का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार जमा करने का दायित्व आवेदक का होगा।
15. प्रस्तावित भवन/परियोजना का मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से 03 वर्ष तक ही मान्य होगा, और यदि तीन वर्ष तक आपके द्वारा मानचित्र के अनुसार निर्माण/संशोधन नही किया जाता है तो पुनः मानचित्र जिला पंचायत अमरोहा से स्वीकृत कराना होगा।
16. प्रस्तावित भवन/परियोजना में गाडी पार्किंग हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी किसी भी स्थिति में सडक पर कोई वाहन-खड़ा नही कराया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।
17. प्रस्तावित भवन/परियोजना पर जिला पंचायत अमरोहा का लाईसेंस/विभव एव सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष नियमानुसार अलग से अदा करना अनिवार्य होगा।
18. प्रस्तावित भवन/परियोजना के निर्माण में नैशनल बिल्डिंग कार्ड 2016 का पालन कराना होगा, एव भूकम्प रोधी व्यवस्थायें करानी होंगी।
19. प्रस्तावित भवन/परियोजना का उत्तर प्रदेश रेरा में पजीकरण कराकर इस कार्यालय को अवगत कराये।
20. अनुज्ञा जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि नक्शे स्वीकृति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत अमरोहा द्वारा दी गयी मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी, तथा किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है, अथवा सील किया जा सकता है।
21. जिला पंचायत अमरोहा की उक्त विषयक उपविधियों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा उपनियम/प्रतिबन्ध का उल्लघन पाये जाने या किसी शिकायत के सही पाये जाने पर मानचित्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
22. प्रस्तावित भवन/परियोजना का मानचित्र स्वीकृति के बाद शुल्क/सीमा व अन्य किसी विषय में प्रशासन/शासन/मा0 न्यायालय आदि का जो आदेश होगा उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
23. उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन न किये/भविष्य में किसी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने के उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्नक : मानचित्र की प्रति।

अभियन्ता
जिला पंचायत अमरोहा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा।

(2)